

गृह भाड़ा भत्ता

1. गृह भाड़ा भत्ता— मूलभूत नियम 44 के अन्तर्गत स्वीकार योग्य है।
2. किसे देय है— शासन द्वारा घोषित शहरों/कस्बों से पदस्थ कर्मचारियों को, जो किराये के मकान में रहते हैं या स्वयं के मकान में रहते हैं, देय है।
3. गृह भाड़ा भत्ता वास्तविक व्यय से अधिक न हो— गृह भाड़ा भत्ते का आहरण इस बात पर निर्भर है कि सरकारी कर्मचारी ने सम्पूर्ण राशि उस खर्च को पूरा करने में लगा दी है, जिसके लिए भत्ता स्वीकृत किया गया था। अतः गृह भाड़ा भत्ते के दावे के साथ निम्न प्रारूप में प्रमाण-पत्र दिया जाना आवश्यक है—

“प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी को शासकीय आवास आबंटित नहीं है तथा यह कि मकान किराये पर लेने पर किया गया वास्तविक व्यय (किराया) भत्ते के दावे से कम नहीं है।” [पू.नि. 2-सी, मू.भू.नि. 44]

4. गृह भाड़ा भत्ते की प्रचलित दरें— दिनांक 1-11-2011 से निम्नानुसार गृह भाड़ा भत्ता की दरें प्रचलित हैं—

क्र.	नगर की जनसंख्या	गृह भाड़ा भत्ते की दर (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत)
1.	7 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु	10%
2.	3 लाख से 7 लाख तक की आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु	7%
3.	50,000 से 3 लाख आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु	5%
4.	50,000 से कम आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु	3%

सन्दर्भ— म.प्र.शा. वि.वि. ज्ञापन क्र. एफ-11-12/2010/नियम/चार, दि. 1-9-2012

5. अनुसूचित क्षेत्रों में गृह भाड़ा भत्ता— अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता दिनांक 1 सितम्बर, 2012 के ज्ञापन में दर्शित दरों से एक प्रतिशत अधिक से देय होगा।

सन्दर्भ— म.प्र.शा. वि.वि. ज्ञापन क्र.एफ-11-12/2010/नियम/चार, दि. 6-11-2012

6. नवीन दरों का लागू होना— नवीन दरों दि. 1-11-2011 से लागू की गई हैं।
जनसंख्या के अनुसार नगरों का श्रेणीयन

क्रमांक	शहर/कस्बा की जनसंख्या	शहर/कस्बा
1.	5 लाख से अधिक	भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर
2.	2 लाख से 5 लाख	उज्जैन, सागर, देवास, सतना, रतलाम
3.	50,000 से अधिक	बुरहानपुर, मुडवारा, कटनी, सिंगरौली, रीवा, खण्डवा, भिण्डा, मन्दसौर, दमोह, मुरैना, शिवपुरी, गुना, नीमच, विदिशा, छिंदवाड़ा, छतरपुर, होशंगाबाद, सीहोर, इटारसी, सारणी, नागदा, सिवनी, खरगोन, शहडोल, दतिया, बैतूल, महेश्वर, जबलपुर कैन्ट, पीथमपुर, बालाघाट, धार, टीकमगढ़, जावरा, बासोदा, शाजापुर, बीना, श्योरपुरकला, डबरा, अशोक नगर, हरदा
4.	50,000 से कम	शेष सभी नगर/स्थान।

7. शब्दों के वर्गीकरण (श्रेणीयन का आधार)- नगरों/कस्बों का श्रेणीयन का आधार वर्ष 2001 की जनगणना माना गया है।

वर्गीकरण वर्ष 2003 में किया गया है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया गया है।

8. गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता न होना- दिनांक 1 सितम्बर, 2012 को जारी तथा दिनांक 1-11-2011 से लागू नवीन गृह भाड़ा भत्ता के सम्बन्धित पैरा 3 के प्रावधान अनुसार निम्नांकित कर्मचारियों/अधिकारियों को इस आदेश के अन्तर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी-

(क) जिन्हें शासकीय आवासगृह आबंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित शासकीय आवासगृहों में निवासरत हों या जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भत्ता दिया जा रहा हो।

(ख) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।

(ग) संविदा या तदर्थ या दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कर्मचारी।

9. गृह भाड़ा भत्ता का आहरण व भुगतान- कर्मचारी के वेतन आहरण अधिकारी द्वारा वेतन के साथ ही आहरण किया जाएगा और प्रतिमाह वेतन के साथ ही भुगतान किया जाएगा।

10. एक ही परिवार के अनेक सदस्यों का एक ही आवास में निवास- एक ही परिवार के सदस्य जो एक साथ एक ही मकान में निवास करते हैं, उनमें से कोई एक राज्य शासन का कर्मी हो, और दूसरा कोई राज्य शासन, अन्य राज्य शासन, केन्द्र शासन, संघ/संस्था/मंडल/बैंक/निगम इत्यादि का कर्मी हो, तो उनमें से किसी एक को ही आवास भत्ते की पात्रता होगी।

सन्दर्भ- म.प्र.शा. वि.वि. का ज्ञापन क्र. 864/1825/09/नियम/चार, दि. 5-6-2010

11. गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता का स्पष्टीकरण :-

प्रश्न

1. गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता किसे और कब है? क्या इसकी पात्रता के लिए किराये के मकान में रहना आवश्यक है?

स्पष्टीकरण

1. गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता उन स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के कर्मचारियों को है जो पदस्थ होने के स्थान की (शहर/नगर/कस्बा) नगर निगम/नगर पालिका सीमा के भीतर निवास करते हैं और स्वयं पत्ती के, अपने बच्चों अथवा माता-पिता के मकान में या किराये के मकान में रहते हैं।

प्रश्न

2. क्या शासन द्वारा आवंटित अथवा निःशुल्क आवास उपलब्ध होने पर गृह भाड़ा मिलेगा ?
3. क्या गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने के लिए किसाये के मकान की रसीद आवश्यक है ?
4. शासकीय सेवकों को Ear Marked आवास आवंटित होने पर भी उसमें न रहने वालों को गृह भाड़ा भत्ता की कितनी पात्रता होगी ?
5. क्या गृह भाड़ा भत्ता मूल वेतन का भाग माना जाएगा ?
6. अवकाश, निलंबन तथा स्थानांतरण पर गृह भाड़ा भत्ते की गणना किस प्रकार की जाएगी ?
7. पुनर्नियुक्ति/पेंशनभोगी के प्रकरणों में गृह भाड़ा भत्ते की क्या पात्रता होगी ?
8. गृह भाड़ा भत्ता प्रदाय हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन होगा ?
2. ऐसी परिस्थिति में गृह भाड़ा भत्ता देय नहीं है ।
3. किसाये के मकान में रहने पर किसाये की रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं । इस संबंध में प्रपत्र 'अ' तथा 'ब' में घोषणा-पत्र प्रतिवर्ष मार्च माह में दिया जाना आवश्यक है ।
4. शासकीय Ear Marked आवास आवंटित होने पर उसमें निवास न करने पर गृह भाड़ा भत्ता देय नहीं होगा ।
5. छठवें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता वेतन बैंड में पे और ग्रेड पे के योग पर देय है जो मूल वेतन में सम्मिलित माना जाएगा ।
6. अवकाश अवधि में मिलने वाले वेतन के आधार पर (असाधारण अवकाश को छोड़कर) गृह भाड़ा भत्ता देय होगा । निलंबन काल में भी गृह भाड़ा भत्ता देय होगा । स्थानांतरण होने पर नवीन पदस्थी वाले स्थान के श्रेणी के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देय होगा ।
7. भत्ते की गणना के लिये वेतन को पेंशन में सम्मिलित किया जाएगा ।
8. गृह भाड़ा भत्ता प्रदाय हेतु सक्षम प्राधिकारी संबंधित शासकीय सेवक का कार्यालय प्रमुख होगा ।